

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. हरिसिंह उर्फ हारया पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजू योगी पुत्र श्री रामधन जाति जोगी निवासी ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार कमेटी सिकराय।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) व 20(2) आवंटन नियम विरुद्ध नियमन आदेश
दिनांक 13.1.2022 उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 16.06.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पाडली बाड तन कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित आराजी भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है. किस्म बारानी सिवायचक, खसरा संख्या 687/34 रकबा 0.46 है. किस्म बारानी सिवायचक स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग अलवर के द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान के साबिक खसरा संख्या 11/1 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा संख्या 34 रकबा 0.76 है. तथा साबिक खसरा संख्या 11/2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है. कायम कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में बतौर राज. सरकार की खातेदारी में गै. मु. सिवायचक के रूप में दर्ज कर दी। उक्त वर्णित भूमि साबिक खसरा संख्या 11/1 रकबा 3 बीघा तत्कालीन खातेदार चेताराम पुत्र छाजू कौम बैरवा साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है तथा साबिक खसरा संख्या 11/2 हाल खसरा संख्या 35 गै. मु. सिवायचक बारानी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा कालान्तर में उक्त भूमि साबिक खसरा संख्या 11/1 रकबा 3 बीघा तत्कालीन खातेदार चेताराम पुत्र छाजू के नाम से पृथक होकर गै. मु. सिवायचक के रूप में ग्राम पाडली बाड तन कालवान के खाता संख्या 1 में दर्ज हो गई। उक्त भूमि को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये उक्त भूमि में से 0.45 है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थी का बजमाने बुजुर्गान से कब्जा चला आ रहा है जो आये दिन भी मौके पर बदस्तुर है। प्रार्थी ने लाखों रूपयें खर्च करके भूमि का विकास किया है और उसको काश्त योग्य बनाया है। आवंटन के समय व आवंटन से पूर्व भूमि खाली नहीं थी। आवंटन से पूर्व भूमि के सम्बन्ध में उद्घोषणा जारी नहीं की गई ना ही खाली भूमि की सूची बनाई गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि साबिक खसरा संख्या 11/1 रकबा 3 बीघा तत्कालीन खातेदार चेताराम पुत्र छाजू के नाम रही है। जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। आवंटन नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

के व्यक्ति के नाम दर्ज एवं अंकित भूमि का आवंटन भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही कानूनन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट लिये बिना अथवा पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही आवंटन नियमों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि का आवंटन कर दिया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि का आवंटन करवाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अपने परिवारजन के ही बतौर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाये गये हैं। शपथ पत्र में मात्र 5 बिस्वा भूमि सिंचित होने का तथ्य अंकित किया है तथा अपने आप को आवंटन नियमों के अन्तर्गत परिभाषित भूमिहीन कृषक के रूप में कथन अंकित किया है। जिसका सत्यापन नहीं करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भूमि के खसरा संख्या 35 में से रकबा 2 बीघा व 167/34 में से रकबा 2 बिस्वा का आवंटन किये जाने बाबत अंकन किया है। खसरा संख्या 35 के साथ गलत तरीके से खसरा संख्या 167/34 किस्म गै. मु. सिवायचक का अंकन किया गया है। जबकि खसरा संख्या 167/34 किस्म गै. मु. सिवायचक की कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 10.1.2022 को प्रस्तुत की गई मौके रिपोर्ट में खसरा संख्या 167/34 के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा काश्त अथवा राजस्व रिकॉर्ड के बारे में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है और ना ही खसरा संख्या 167/34 अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किये जाने बाबत अनुशंषा की गई है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में यह तथ्य कही भी अंकित नहीं किया है कि उक्त वर्णित भूमि में से कितनी भूमि पर कब से अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा काश्त है। आवंटन की कार्यवाही ना तो मजमे आम में हुई और ना ही आवंटन कमेटी का पूरा कोरम ही था, ना ही आवंटन की सिफारिश पर सरपंच आदि के कोई हस्ताक्षर है। आवंटन फार्म भी विधिवत नहीं भरा गया है, ना ही सत्यापन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया नियमीतीकरण आदेश क्रमांक 109 दिनांक 13.1.2022 निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या को उपखण्ड अधिकारी सिकराय के नियमीतीकरण आदेश क्रमांक 109 दिनांक 13.1.2022 के द्वारा ग्राम पाडली बाड स्थित भूमि खसरा संख्या 35 एवं खसरा संख्या 687/34 किस्म बाराणी-I सिवायचक में से 0.45 है. भूमि का नियमन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक दर्ज थी। प्रार्थी को भूमि का नियमन राजकीय सिवायचक भूमि में से किया गया है। पटवारी हल्का कालवान की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाडली बाड के खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है. में से 0.30 है. एवं खसरा संख्या 687/34 रकबा 0.46 है. में से 0.20 है. भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त किया जा रहा होना व्यक्त करते हुये उक्त अतिक्रमी का आवेदन पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत नियमीतीकरण हेतु प्रेषित किया जाना व प्रार्थी व उसके परिवार के पास कुल कृषि भूमि 0.13 है. सिंचित ग्राम कालवान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना व्यक्त करते हुये प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान में आवंटन चाह रहा होना अंकित किया गया है तथा उक्त खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है., 687/34 रकबा 0.46 है. में से 0.10 है. का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र कालवान के लिये भिजवाया जाना तथा उक्त दोनो खसरा नम्बरान की कुल भूमि 1.91 है. में से 1.81 है. आवंटन योग्य होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा तहसील सिकराय के प्रकरणों के विवेचन में क्रम संख्या 4 से 7 तक कुल 1.91 है. में से 0.10 है. का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव उप स्वास्थ्य केन्द्र कालवान हेतु भिजवाये जाने के कारण शेष 1.81 है. में से प्रत्येक को 0.45 है. के नियमन का निर्णय तहसीलदार की अनुशंषा अनुसार लिया जाना अंकित किया गया है। जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार सही अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को नियमन/आवंटन किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो या अनुतोष चाहा गया हो इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 32/2022

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय के नियमितीकरण आदेश क्रमांक 109 दिनांक 13.1.2022 के द्वारा ग्राम पाडली बाड तन कालवान तहसील सिकराय स्थित सिवायचक भूमि खसरा संख्या 35, 687/34 में से 0.45 है. का अप्रार्थी संख्या 1 के हक में नियमितीकरण किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होना व आवंटन योग्य होना व्यक्त किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाडली बाड के खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है. में से 0.30 है. एवं खसरा संख्या 687/34 रकबा 0.46 है. में से 0.20 है. भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना व्यक्त किया गया है। उक्त खसरा संख्या 35 रकबा 1.45 है., 687/34 रकबा 0.46 है. में से 0.10 है. का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र कालवान के लिये भिजवाया जाना तथा उक्त दोनो खसरा नम्बरान की कुल भूमि 1.91 है. में से 1.81 है. आवंटन योग्य होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा तहसील सिकराय के प्रकरणों के विवेचन में क्रम संख्या 4 से 7 तक कुल 1.91 है. में से 0.10 है. का क्षतिपूर्ति प्रस्ताव उप स्वास्थ्य केन्द्र कालवान हेतु भिजवाये जाने के कारण शेष 1.81 है. में से प्रत्येक को 0.45 है. के नियमन का निर्णय तहसीलदार की अनुशंषा अनुसार लिया जाना अंकित किया गया है। दोनो तथ्यों में प्रश्नगत भूमि के रकबे की समानता प्रदर्शित होती है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के लिये अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई औचित्यपूर्ण तथ्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सिकराय के नियमितीकरण आदेश क्रमांक 109 दिनांक 13.1.2022 बहक अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) एवं 20(2) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रति सहित मूल पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा